राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

भोपाल - 462036

अनुसूचित साधन उपयोग नियम

परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग पर दण्ड विधान -

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अध्यादेश 5 के एवं म.प्र. रेकगनाइज्ड एक्सामिनेशन एक्ट (वर्ष 1966 एवं 1984 में संशोधित) के प्रावधानानुसार परीक्षा में यदि कोई परीक्षार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करता है या करने का प्रयास करता है तो वह दण्ड का भागी होगा।

केन्द्र अधीक्षक, वीक्षक एवं परीक्षक का प्रतिवेदन एवं छात्र/छात्रा के बयान, उत्तरपुस्तिका, प्रमाण हेतु सामग्री सहित यदि कोई हो " अनुचित साधन उपयोग पर दण्ड की अनुशंसा हेतु गठित समिति" इस पर विचार कर अनुशंसा करेगी। समिति पूर्ण विचारोपरान्त अपराध का वर्गीकरण करेगी, तथा दण्ड की अनुशंसा करेगी।

परिभाषायें :

1. **विश्वविद्यालय :-** राजीव गांधी विश्वविद्यालय, भोपाल
2. **परीक्षार्थी** :- व्यक्ति जिसको परीक्षा देने के लिये प्रवेश पत्र दिया गया है।
3. **विधि सम्मत पदस्थ व्यक्ति** :- परीक्षा कार्य हेतु जिसे विश्वविद्यालय ने अधिकृत किया हो, वे समस्त कर्मचारी। शिक्षक जो परीक्षा कार्य में लगे हैं।
4. **निरुद्ध** :- व्यक्ति जिसे परीक्षा देने से रोक दिया गया है। जब कोई व्यक्ति आगामी परीक्षा में निरुद्ध कर दिया जाता है तो वह कॉलेज में प्रवेश भी नहीं ले सकता, जब तक वह परीक्षा देने के योग्य न हो।
5. **वर्तमान परीक्षा** :- वर्तमान परीक्षा से तात्पर्य उस परीक्षा से है जिस सेमिस्टर की परीक्षा देते हुये परीक्षार्थी को अनुचित साधन प्रयोग करते दण्डित किया गया है। इसमें केवल सैद्धांतिक परीक्षा मानी जायेगी। प्रायोगिक, सात्रिक व मिड सेमिस्टर अंक निरस्त नहीं होंगे।
6. **आगामी परीक्षा** :- आगे आने वाली सभी परीक्षायें (सैद्धांतिक, प्रायोगिक, मिड सेमिस्टर एवं सात्रिक अंक)

अपराध की गंभीरता के अनुसार निम्नलिखित वर्गीकरण किये जायेंगे एवं दण्ड दिया जा सकेगा।

1. वर्ग 'अ'

ऐसे समस्त परीक्षार्थी जो परीक्षा कक्ष में परीक्षा के दौरान किसी भी अन्य परीक्षार्थी से या व्यक्ति से किसी भी प्रकार की सहायता लेता है, या दूसरे परीक्षार्थी की सहायता करता है, चाहे वह मौखिक रूप से हो या लिखित रूप से या अपनी पहचान उत्तरपुस्तिका में छोड़ता है या पहचान हेतु कोई निशान, चिन्ह आदि बनाता है या प्रश्नपत्र पर अनुक्रमांक के अलावा कुछ और लिखता है इस श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा।

वर्ग 'अ' में दण्ड

उस विषय (प्रश्न पत्र) की सैद्धान्तिक परीक्षा निरस्त की जायेगी, जिसमे वह ऐसा करता पाया गया है।

2. वर्ग 'ब'

परीक्षा समय में परीक्षा कक्ष में या कक्ष के बाहर जब तक कि परीक्षार्थी ने उत्तरपुस्तिका जमा न कर दी हो उसके पास कोई दस्तावेज, किताब, लिखित कागज या कोई अन्य सामग्री पायी जाती है, जिसमे उस विषय संबंधी कुछ लिखा हो, जिसकी परीक्षा उक्त समय मे चल

रहो हो, भले ही वह प्रश्न पत्र में पूछा गया हो या न पूछा गया हो मिलता है या पाया जाता है, परीक्षार्थी इससे नकल कर रहा हो या न कर रहा हो, इस श्रेणी तक वर्गीकृत किया जायेगा।

वर्ग 'ब' में दण्ड

वर्तमान पूरी परीक्षा (सैद्धांतिक) निरस्त की जायेगी। इसके प्रायोगिक सात्रिक व मध्य सेमिस्टर परीक्षा के अंक पूर्ववत रहेंगे।

3. वर्ग 'स'

यदि परीक्षार्थी वीक्षक को बिना उत्तरपुस्तिका दिये जाता है या बाहर से उत्तरपुस्तिका लाता है, या उत्तरपुस्तिका का हिस्सा लाता है या उत्तरपुस्तिका या इसके किसी भाग को बदलने का प्रयास करता है, तो इस श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा।

वर्ग 'स' में दण्ड

वर्तमान में परीक्षा पूर्ण रूप से निरस्त होगी तथा परीक्षार्थी अगले सेमिस्टर/वर्ष की परीक्षा देने से निरुद्ध किया जायेगा।

4. वर्ग 'द'

यदि परीक्षार्थी के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति परीक्षा देता पाया जाता है, या परीक्षार्थी नकल सामग्री देने से इन्कार करता है, इसे किसी भी प्रकार से नष्ट करता है या नष्ट करने का प्रयास करता है, या अनुचित साधन प्रारूप पत्र पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है तो ऐसे समस्त परीक्षार्थी इस श्रेणी में वर्गीकृत किये जायेंगे।

वर्ग 'द' में दण्ड

वर्तमान परीक्षा निरस्त की जायेगी। तथा आगामी दो परीक्षा वह नहीं दे सकेगा।

5. वर्ग 'य'

यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न करता है, या अन्य परीक्षार्थी को परीक्षा न देने के लिये प्रेरित दुष्प्रेरित करता है या बलपूर्वक परीक्षा देने से रोकता है या अन्य की सहायता से ऐसा प्रयास करता है कि परीक्षा न हो। या परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर निकालने का प्रयास करता है या निकलने के लिए उकसाता है तो ऐसे समस्त परीक्षार्थी इस श्रेणी के अन्तर्गत दण्डित होंगे।

वर्ग 'य' में दण्ड

वर्तमान परीक्षा निरस्त की जायेगी। आगामी तीन परीक्षायें देने से निरुद्ध किया जायेगा, तथा पुलिस में शिकायत दर्ज की जायेगी।

6. वर्ग 'र'

यदि परीक्षार्थी वीक्षक, केन्द्र अधीक्षक या विधि सम्मत परीक्षा कार्य के लिये लगाये गये किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करता है, गाली-गलौज करता है, उसको धमकाता है, मारता है या नुकसान करने की धमकी देता है। अथवा परीक्षा केन्द्र पर नियुक्त इनवीजीलेटर, केन्द्र अधीक्षक या व्यक्ति को नकल करने हेतु रिश्वत देता है अथवा देने का प्रयास करता है।

अथवा

कोई भी धारदार या अग्नेय अस्त्र लेकर परीक्षा देने जाता है। हथियार का उपयोग करता है।

अथवा

कोई भी जानवर, पक्षी या अन्य सामग्री परीक्षा कक्ष मे लाता है, जिससे परीक्षा मे व्यवधान होता हो तो उसे इस वर्ग मे रखा जायेगा।

वर्ग 'र' में दण्ड

वर्तमान में परीक्षा निरस्त की जायेगी तथा आगामी चार परीक्षा देने से निरूद्ध किया जायेगा। तथा पुलिस मे प्राथमिकी लिखवायी जायेगी।

इस वर्ग के परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद उपाधि के अयोग्य घोषित कर विश्वविद्यालय से सदा के लिये या कुछ समय के लिये निष्काषित कर सकती है।